

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

एस0ओ0-

पटना, दिनांक-

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा-22(एच) सह पठित बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 284(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार "दाह-संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना" में पूर्व से देय राशि में वृद्धि का निम्नरूपेण प्रावधान करती है।

दाह-संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना - निर्बाधित निर्माण कामगारों को मृत्योपरान्त उनके नामितों/आश्रितों को पूर्व में देय दाह-संस्कार हेतु आर्थिक सहायता की राशि ₹1,000/- (रुपये एक हजार) से बढ़ाकर ₹5,000/- (रुपये पाँच हजार) की जाती है।

इस योजना की शेष कंडिकाएं पूर्ववत् रहेगी।

बी0सी0डब्लू0सी0-18/2016 श्र0सं0-903 पटना, दिनांक-01.10.2018
बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सतीश कुमार शाही)
1.10.18

(सतीश कुमार शाही)

सरकार के अवर सचिव,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक-एक प्रति प्रत्येक सदस्य तथा व्यक्ति को अग्रसारित किया जाय।

अधिसूचना

एस0ओ0-

पटना, दिनांक-

का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

बी0सी0डब्लू0सी0-18/2016 श्र0सं0-903 पटना, दिनांक-01.10.2018

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सतीश कुमार शाही)
1.10.18

(सतीश कुमार शाही)

सरकार के अवर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

Government of Bihar
Labour Resources Department
Notification

S.O.-

Patna, dated-


In exercise of power conferred by Section 22(h) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act 1996 (27 of 1996) and 284A of Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Rule 2016, the Government of Bihar makes following provision to enhance the amount of "Payment of Funeral Assistance Scheme."

Payment of Funeral Assistance Scheme :- The Board will sanction an enhanced amount of Rs. 5000/- in place of Rs. 1000/- to the nominees/dependents of a deceased member of registered construction workers towards funeral expenses.

Rest of the para of said scheme will remain same.

No. BCWC-18/2016 LR-903 Patna, Date-01.10.2018

By order of the Governor of Bihar,



1.10.18

(Satish Kumar Shahi)

Under Secretary.

Labour Resources Department, Bihar
पटना, दिनांक-01.10.2018


ज्ञापांक-बी0सी0डब्लू0सी0-18/2016 श्र0सं0- 903
प्रतिलिपि :- ई-गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


1.10.18

(सतीश कुमार शाही)

सरकार के अवर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक-बी0सी0डब्लू0सी0-18/2016 श्र0सं0-903 पटना, दिनांक-01.10.2018
प्रतिलिपि :- सरकार के सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


1.10.18

(सतीश कुमार शाही)

सरकार के अवर सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार